न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट दूदू जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत (आर.ए.एस)

अपील संख्या 74/2021

निर्णय दिनांक – 30.08.2022

1. हरकरण पुत्र पन्ना जाति बलाई
2. रामनिवास पुत्र रामदेव जाति बलाई
3. रामस्वरूप पुत्र रामदेव जाति बलाई

समस्त निवासीगण हदुपुरा हाल गांधी की ढाणी तन दांतडा तहसील दूदू जिला जयपुर ।

– अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दूदू जिला जयपुर राजस्थान।

– रेस्पोडेण्ट्स

उपस्थित –

अपीलाण्ट के अधिवक्ता – श्री मगन लाल शर्मा

निर्णय

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार तहसील दूदू दिनांक 19.04.2018 प्रकरण संख्या 12/2018 सरकार बनाम हरकरण आदि जिला जयपुर राज० को निरस्त फरमाने बाबत)

अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 **विरूद्ध निर्णय तहसीलदार तहसील दूदू दिनांक 19.04.2018 प्रकरण संख्या 12/2018 सरकार बनाम हरकरण आदि जिला जयपुर** के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिसका संक्षिप्त सार निम्नानुसार है –

यह कि पटवारी हल्का बिंगोलाव ने दिनांक 04.04.2018 को तहसीलदार तहसील दूदू के समक्ष अपीलांट के विरूद्ध आराजी खसरा नं. 1755 गै.मु. नाला कुल रकबा 0.09 है. में संवंत् 2075 में 0.0. है० पर अनाधिकृत कब्जा करते हुए फार्म पौण्ड के निर्माणकी रिपोर्ट पेश की जिस पर तहसीलदार दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 12/18 अन्तर्गत धारा भू राजस्व अधिनियम में दर्ज कर अपीलांटस के विरूद्ध क्रमांक 207 दिनांक 05.04.2018 को दिनांक 18.04.2018 की पेशी के नोटिस जारी किये गये निकी प्रोपर तामिल प्रार्थीगण/अपीलांटस पर नहीं हुयी। अपीलांट रामस्वरूप का नोटिस चस्पा किया गया, दिनांक 18.04.2018 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 19.04.2018 को प्रकरण पेशी में लिया जाकर अपीलाण्टस को आराजी खसरा नं. 1755 रकबा 0.09 है0 वाके ग्राम हदुपुरा से बेदखली के आदेश पारित किया जाकर लगान 0.36 के 50 गुणा 18/– रू. कायम किये जाने के आदेश अपीलांट्स की अनुपस्थिति में पारित किया गया। जिसकी अपीलान्टस को कोई जानकारी नहीं हुयी। अपीलांटस द्वारा अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण के निर्णय व अन्य दस्तावेज की नकल हेतु दिनांक 08.06.2021 को आवेदन पेश कर दिनांक 08.06.2021 को नकल प्राप्त होने पर जानकारी से व नकल मिलने से अंदरमियाद एक माह अपील अपीलांट निम्न आधारों पर पेश है –

1. यह कि योग्य तहसीलदार दूदू का आदेश दिनांक 19.04.2018 विधि विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04.04.2018 को नोटिस जारी होने के आदेश पारित किये गये है जबकि तामील चस्पादगी के स्पष्ट आदेश नहीं है बिना न्यायालय के आदेश के तामिल कुनन्दा द्वारा चस्पादगी से तामिल करवाकर महती कानूनी भूल की है अतः तहसीलदार दूदू का निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

3. यह कि तामिल कुनन्दा द्वारा जिन साक्षियों के समक्ष जरिये चस्पादगी एवं असालतन तामिल की है उक्त तीनों व्यक्ति किस जाति समाज एवं ग्राम के निवासी है रिपोर्ट में उल्लेख नहीं है। ग्राम हट्टुपुरा में उक्त नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। ना ही उक्त साक्षी अधीनस्थ न्यायालय में पेश हुये है ना ही उनका शपथ पत्र पेश हुआ है। यहां तक कि स्वयं तामील कुनिन्दा ने गैर अपीलार्थी/रेस्पो0 से मिलकर समस्त कार्यवाही फर्जी की है इसलिए प्रश्नगत आदेश निरस्तनीय है।

4. यह कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत आदेश दिनांक 19.04.2018 स्पीकिंग आदेश की तारीफ में नहीं आता है पूर्व मे टंकित फार्म मे इन्द्राज करते हुएनिर्णय पारित किया गया है जो विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है।

5. यह कि अपीलार्थी के प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन हुआ है, गैर अपीलार्थी/रेस्पो0 ने तामील कुनिन्दा से साजकर अपीलार्थी को जानबूझकर फरजी तामील रिपोर्ट के आधार पर सुनवाई के अधिकार से महरूम किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तामिल रिपोर्ट की मात्र सतही विवेचना की है। विधि द्वारा सुस्थापित सिद्धान्तों एवं नियमों के अनुसरण में तामिल रिपोर्ट की विवेचना न कर निर्णय पारित करने मे महती कानूनी भूल की है। इसलिए तहसीलदार दूदू का प्रश्नगत निर्णय विधि सम्मत न होने से निरस्तनीय है।

6. यह कि अपीलांटस का फार्म पौण्ड खसरा नं. 222 में निर्मित है जिस बाबत पटवारी हल्का ने दिनांक 15.02.2016 को अपनी रिपोर्ट में जाहिर किया है एवं ग्राम पंचायत बिंगोलाव ने भी खसरा नं. 222 के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। पटवारी हल्का ने खसरा नं. 1755 में पोण्ड निर्माण की गलत रिपोर्ट पेश की है अतः निर्णय तहसीलदार दूदू का विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

7. यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूदू ने अपीलांट को सुनवाई का एवं कब्जे संबंधित वास्तविक सबूत पेश करने का मौका नहीं दिया दिनांक 18.04.2018 को अवकाश था और बिना विधिक सूचना के दिनांक 19.04.2018 को अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये बिना एकतरफा में निर्णय पारित किया गया जो निरस्तनीय है।

8. यह कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय कतई इलिगल कान्ट्रेरी टूला एवं विधि विरूद्ध होने एवं न्याय व प्राकृतिक के सहज सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

अतः अपील पेश कर प्रकरण संख्या 12/18 सरकार बनाम हरकरण वगै0 में तहसीलदार दूदू के निर्णय दिनांक 19.04.2018 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया गया है।

उक्त आशय की अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर करवायी जाकर तहरीर रेस्पोडेण्ट्स जारी कर रिकार्ड तलब किया गया। तहसीलदार दूदू द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। रेस्पोडेण्ट द्वा जवाब पेश किया गया। जवाब में रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु अपीलाण्ट उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण राजकीय भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित एंव अब्दूल रहमान प्रकरण से प्रभावित होने से दिनांक 19.04.2018 को वार्षिक लगान के 50 गुना पेनल्टी से दण्डित करते हुए अतिक्रमित भूमि से बेदखली के आदेश पारित किये गये। समस्त कार्यवाही नियमानुसार की गयी है। रेस्पोडेन्ट ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि अपीलाण्ट रामस्वरूप द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 रा.टी.ए. व 151 जा.दी. प्रार्थना पत्र संख्या 71/2018 दिनांक 25.07.2018 को पेश किया जिसके मद संख्या 3 में वर्णन किया है कि ख.नं. 221 जो कि राजस्व रिकार्ड में गै.मु. रास्ता दर्ज है।प्रार्थीयान काउक्त राजकीय भूमि पर कब्जा है। मद संख्या 4 में वर्णित किया है कि अपने कब्जेशुदा व खातेदारी भूमि पर फार्म पौण्ड का निर्माण किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि न्यायालय तहसीलदार दूदू में 11/2018 में अपीलाण्ट के विरूद्ध ख.नं. 221 गै.मु. रास्ता से भी दिनांक 19.04.2018 को ही बेदखली आदेश पारित हुए है। इस प्रकार अपील में आदेशों की जानकारी न होना मिथ्या वर्णित किया गया है। जो कि असत्य है। अतः अपील निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

अपीलाण्ट के अधिवक्ता अपीलार्थी ने जवाब उल जवाब पेश नहीं कर सीधे मौखिक बहस करने का निवेदन किया।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण किया गया है। तहसीलदार दूदू का राजकीय भूमियों का संरक्षा एवं सुरक्षा करने का राजकीय कर्तव्य है। राजकीय भूमियों से कब्जा हटाना राजकीय दायित्व है। तहसीलदार दूदू द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.04.2018 विधि सम्मत एवं नियमानुसार की गयी है। अतः हम अपील को खारिज करना उचित समझते है तथा तहसीलदार दूदू द्वारा जारी आदेश दिनांक 19.04.2018 को यथावत रखने का आदेश दिया जाता है। अतः अपीलाण्ट द्वारा पेश की गयी अपील को खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति मय मूल रिकार्ड तहसीलदार दूदू को भिजवाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू